<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>10/12/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 09.12.2024 को एक अनंतिम कुर्की आदेश के तहत भूमि, आवासीय संपत्तियां, सावधि जमा और बैंक बैलेंस सहित **21.47 करोड़ रुपये** की अचल और चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति **जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाले** के आरोपी व्यक्तियों रानू साहू, आईएएस, माया वारियर, राधेश्याम मिर्झा, भुवनेश्वर सिंह राज, वीरेंद्र कुमार राठौर, भरोसा राम ठाकुर, संजय शेंडे, मनोज कुमार द्विवेदी, हृषभ सोनी और राकेश कुमार शुक्ला की है।

ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 03 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके जिला खनिज निधि (डीएमएफ) को हड़पने की साजिश रची। डीएमएफ ठेकों को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए, ठेकेदारों ने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को अनुबंध मूल्य के 15% से 42% तक की भारी मात्रा में कमीशन/अवैध रिश्वत का भुगतान किया।

ईडी की जांच ने डीएमएफ घोटाले के तौर-तरीकों का पता लगाया है और यह पता चला है कि ठेकेदारों के बैंक खाते में जमा की गई धनराशि का बड़ा हिस्सा ठेकेदारों द्वारा सीधे नकद में निकाल लिया गया था या आवास प्रविष्टि प्रदाताओं को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बदले ठेकेदारों को नकद प्राप्त हुआ था। एकोमोडेशन प्रविष्टि प्रदाताओं के साथ ये लेन-देन विक्रेताओं द्वारा बिना किसी वास्तविक खरीद के माल की खरीद के रूप में दिखाया गया था। विक्रेताओं द्वारा प्राप्त की गई नकदी का उपयोग डीएमएफ कार्य के आवंटन और/या इस संबंध में विक्रेताओं के बिलों के भुगतान के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया था और इस नकदी का कुछ हिस्सा विक्रेताओं द्वारा अपने स्वयं के लाभ के लिए भी इस्तेमाल किया गया था।

जांच के दौरान, ईडी ने ठेकेदारों, लोक सेवकों और उनके सहयोगियों के विभिन्न परिसरों में कई तलाशियां लीं और इसके परिणामस्वरूप 2.32 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी और आभूषण जब्त किए गए और जांच से पता चला कि जब्त की गई रकम डीएमएफ कार्यों के निष्पादन के दौरान इन लोक सेवकों द्वारा प्राप्त रिश्वत राशि का हिस्सा थी। इस मामले में अब तक कुल अपराध आय (पीओसी) 90.35 करोड़ रुपये है, जिसमें 09.12.2024 तक 23.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क/जब्त/फ्रीज की गई हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।